-:टेण्डर/निविदा सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि देवीपाटन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बस स्टेशनों पर रिक्त/संचालित कैण्टीन/स्टालों की नीलामी कैण्टीन नियमावली नवम्बर 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। कैण्टीन स्टाल संचालन हेतु इच्छुक आवेदक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय देवीपाटन क्षेत्र, गोण्डा से निर्धारित शुल्क रू0 500/- निगम कोष में नकद जमा कर बस स्टेशनों पर संचालित विभिन्न कैण्टीन/स्टालों सम्बन्धी नियमावली नवम्बर 2020, निविदा प्रपत्र एवं मुख्य शर्तो सहित क्रय कर सकते है। इसके अतिरिक्त निगम की बेवसाईट से भी उसको डाउनलोड किया जा सकेगा। इस हेतु निगम कोष में जमा कराई गई धनराशि रू0 500/- की प्राप्ति रसीद की स्वप्रमाणित प्रति तथा निविदा प्रपत्र में निर्धारित सभी अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ टेण्डर फार्म के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र दिनांक **22.03.2021** को समय **अपरान्ह 14:00 बजे** क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय देवीपाटन क्षेत्र, गोण्डा स्थित कार्यालय में रखे टेण्डर बाक्स में डाले जायेगें। निर्धारित समय व तिथि के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी निर्धारित दिवस व समय पर निविदा बाक्स उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख सील कर दिया जायेगा तथा **दिनांक 22.03.2021** को ही समिति के द्वारा निविदादाताओं के समक्ष **अपरान्ह 15:00** बजे निविदायें खोली जायेगीं। जिन कैण्टीन स्टालों के संचालन की अवधि 01 वर्ष से कम शेष है और उनकी अगली नीलामी निविदा जारी की जा रही है, इनके कैण्टीन/स्टाल संचालन के इच्छुक संचालकों को भी निविदा में भाग लिया जाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में, सचांलित कैण्टीन/स्टाल की निविदा स्वीकृत होने की दशा में कैण्टीन/स्टाल संचालन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त ही अनुबन्धन आदि की कार्यवाही की जायेगी। कैण्टीन/स्टाल स्वीकृत/अस्वीकृत का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। स्वीकृत कैण्टीन/स्टाल पर जी0एस0टी0 अथवा अन्य कर नियमानुसार प्रभावी होगा। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय देवीपाटन क्षेत्र, गोण्डा से की जा सकती है।

कैण्टीन/स्टाल, जिनकी नीलामी की जानी है, का विवरण निम्नवत् है -

डिपो स्तर पर रिक्त पड़े स्टालों/ठेकों का विवरण					
क्र0 सं0	**बस स्टेशन/डिपो का नाम**	**रिक्त स्टाल का विवरण**	**स्टाल का आरक्षित मूल्य**	**निर्धारित स्थान**	**अन्य विवरण**
1	रूपईडीहा	कैण्टीन	31002.00	पूर्व के स्थान पर	रिक्त
2	बहराइच	बुकस्टाल	5000.00	पूर्व के स्थान पर	रिक्त
3	गोण्डा	कैण्टीन	24093.00	पूर्व के स्थान पर	रिक्त

Downloaded from www.upsrtc.com

अन्य शर्ते

1. कैण्टीन/स्टाल नियमावली नवम्बर 2020 की शर्तो में प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित दरों के प्रस्ताव की 03 गुना लाईसेन्स शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा कराये जाने का प्राविधान किया गया है, किन्तु प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित दरों की गोपनीयता के दृष्टिगत प्रस्तावित दरों के स्थान पर स्टाल हेतु आरक्षित दरों की तीन गुना धनराशि का लाईसेन्स शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट जमा कराया जायेगा। शेष अन्तर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट स्टाल के अनुबन्धन के पूर्व जमा कराया जायेगा।
2. आमंत्रित निविदा के निस्तारण के उपरान्त जो कैण्टीन/स्टाल रिक्त रहं जायेगें तथा जो बस स्टेशन पी0पी0पी0 मॉडल से अच्छादित/निमार्णधीन है उन पर स्थित रिक्त कैण्टीन/स्टालों या नवसृजित स्टाल के सचांलन हेतु निविदापृथक से जारी की जायेगी।
3. उल्लिखित बस स्टेशनों का आवंटन कैण्टीन नियमावली, नवम्बर 2020 के अन्तर्गत नियमानुसार 03 वर्ष हेतु अनुबन्ध किया जायेगा जिसका प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि स्वेमेव होगी।
4. आवंटी द्वारा अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेना होगा, निगम द्वारा विद्युत सुविधा देय नहीं होगी, साथ ही दुकान में किसी प्रकार का पक्का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
5. कैण्टीन के साथ बस स्टेशन पर अवरोध पैदा न हो ऐसी दशा में अधिकतम केवल 01 ट्राली वेण्डर प्रस्तावक के अनुरोध में स्वीकृत की जायेगी जिसका किराया कैण्टीन संचालक द्वारा जमा की जा रही मासिक लाईसेन्स फीस का 10 प्रतिशत अतिरिक्त जमा करना होगा।
6. नवसृजित कैण्टीन/स्टाल की जमानत धनराशि रू0 50,000/- होगी।
7. जिन निविदादाता की निविदा अर्ह पाये जाने के उपरान्त स्वीकृत की जायेगी उसको क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम देवीपाटन क्षेत्र के साथ एग्रीमेण्ट बाण्ड भरना होगा, एग्रीमेण्ट हेतु रजिस्टार आफिस द्वारा निर्धारित दर पर स्टाम्प पेपर सम्बन्धित निविदादाता को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराना होगा। किराया अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा।
8. जी0एस0टी0 एवं अन्य करों में देयता बनती है, तो निविदादाता द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा, जिसे निगम कोष में दैनिक किराये के साथ में जमा किया जायेगा।
9. तीन सप्ताह तक लगातार समय पर किराया जमा न करने की दशा में ठेका निरस्त करते हुए प्रतिभूति की धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी या शासकीय देयकों की वसूली आवंटी की सम्पत्ति से भूराजस्व की भाँति की जायेगी।
10. दुकानों से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद गोण्डा में स्थित रहेगा तथा निविदा के मामले में उत्पन्न किसी विवाद पर निविदा समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
11. अपूर्ण निविदा/प्रपत्र विचार योग्य नहीं होगा।
12. परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्हीं कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन, का स्थान परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा।
13. यदि दुकान ठेकेदार अनुबन्ध के पश्चात दुकान संचालित रखने का इच्छुक न हो तो आवश्यक होगा कि वह तीन माह पूर्व लिखित नोटिस देकर दुकान बन्द करें। यदि दुकान ठेकेदार द्वारा अचानक बिना कोई कारण बताये ही दुकान बन्द कर देता है तो प्रतिभूति के मद में

Downloaded from www.upsrtc.com

निगम कोष में जमा कराई गई धनराशि से कटौती करने अथवा दुकान का अनुबन्ध समाप्त कर प्रतिभूति की धनराशि जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक, देवीपाटन क्षेत्र को होगा।

14. पी0पी0पी0 योजना को दृष्टिगत रखते हुए, केन्टीन/स्टाल बिना पूर्व नोटिस दिये समाप्त किया जा सकता है।

15. दिव्यांगजनों के लिये बहराइच बस स्टेशन पर फल स्टाल आरक्षित है। जिसमें केवल दिव्यांगजन ही प्रतिभाग ले सकेगें।

दिव्यांगजनों हेतु-

1. दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित स्टाल है जिस स्टाल पर केवल दिव्यांगजन ही प्रतिभाग ले सकेगें।
2. निविदा हेतु वह दिव्यांगजन अर्ह होगें, जिनके पास जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र हो तथा उनकी विकलांगता का 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।
3. दिव्यांगजनों हेतु अर्नेस्ट मनी डिपाजिट की धनराशि सामान्य निविदादाता के लिये उस स्टाल हेतु निर्धारित धनराशि के 50 प्रतिशत के बराबर होगी।
4. दिव्यांगनों के लिये शेष शर्ते वही होगीं, जो सामान्यतः अन्य निविदादाताओं के लिये है।

तकनीकी बिड में जमा करने हेतु मुख्य दस्तावेज-

1. जिन संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची में है वो निविदा डालने के लिये अर्ह नही होगें और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा काली सूची में न होने का नोटराइज्ड शपथ पत्र निविदा के साथ सलंग्न करना अनिवार्य है।
2. आधार कार्ड की छायाप्रति स्वप्रमाणित।
3. पैन कार्ड की छायाप्रति स्वप्रमाणित।
4. अर्नेस्ट मनी का बैक ड्राफ्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक देवीपाटन क्षेत्र, गोण्डा के नाम दिया जायेगा, जो टैक्निकल बिड के साथ संलग्न करना होगा। जिसकी धनराशि गोपनीय रखी जायेगी।
5. सफल निविदादाता द्वारा कार्यालयादेश जारी होने की तिथि से 07 दिवसों के अन्दर या टैक्निकल बिड के साथ जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

टेण्डर मूल्य रूपये	500+जी0एस0टी0 18 प्रतिशत कुल धनराशि 590/-
निविदा की अर्नेस्ट मनी	प्रस्तावित मासिक लाईसेन्स फीस का 03 गुना कुल समतुल्य बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक देवीपाटन क्षेत्र के नाम से होगा।
टेण्डर प्राप्त करने की तिथि	23.02.2021 से 21.03.2021 तक 10 बजे से सांय 17 बजे तक किसी भी कार्यालय दिवस में
निविदा जमा करने का दिनांक	22.03.2021 समय 14:00 बजे
टैक्निकल बिड निविदा खोलने का दिनांक	22.03.2021 समय 15:00 बजे

फाईनेन्सिल बिड निविदा खोलने का दिनांक	22.03.2021 समय 16:00 बजे

सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्रस्तावित कार्यवाही को बिना कारण बताये स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि में अवकाश की अवधि में यह कार्य अगले कार्य दिवस में सम्पन्न कराया जायेगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
देवीपाटन क्षेत्र।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक

उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, देवीपाटन क्षेत्र।

पत्रांकः 573--/क्षे0प्र0/गोण्डा/कैन्टीन-नीलामी/2021 **दिनॉकः-22.02.2021**

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक (विपणन) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. सहायक प्रबन्धक (एम0आई0एस0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा विज्ञप्ति को परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ की वेबसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम देवीपाटन क्षेत्र, बहराइच।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम। (ईमेल द्वारा)
6. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम, देवीपाटन क्षेत्र।
7. सहायक विधि अधिकारी, उ0प्र0परिवहन निगम देवीपाटन क्षेत्र।
8. एम0आई0एस0 सेक्शन क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उ0प्र0 परिवहन निगम देवीपाटन क्षेत्र को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त नीलामी विज्ञप्ति परिवहन निगम के मैसेज बोर्ड एवं ईमेल tender/upsrtc.com पर अपलोड करें।
9. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर एवं संचालन प्रभारी रूपईडीहा बस स्टेशन को प्रचार-प्रसार हेतु इस निर्देश से कि उक्त निविदा को स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए चस्पानगी रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।
10. स्थानीय सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान समाचार पत्र गोण्डा को इस आशय के साथ कि उक्त निविदा को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
11. नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय देवीपाटन क्षेत्र।
12. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
देवीपाटन क्षेत्र।

Downloaded from www.upsrtc.com